षष्ठम माला, खंड 1, अंक 6, गुरुवार, 31 मार्च, 1977/10 चैत्र, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. 1, No. 6, Thursday, March 31, 1977/Chaitra 10, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / FIRST SESSION]

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक है / Vol. 1 Contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय सूची / CONTENTS

अंक 6, गुरुवार, 31 मार्च, 1977/10 चैत्र, 1899 (शक)

No. 6, Thursday, March 31, 1977 / Chaitra 10, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1—2
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
विदेशों की कुछ गुप्तचर एजेंसियों को महत्वपूर्ण तथा गुप्त जानकारी दिये जाने के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों का समाचार	Reported arrests made in connection with alleged transmission of important and classified information to intelligence agencies of certain foreign countries	3—4
डाक और तार सेवाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में वक्तव्य—	Statement on some aspects of postal and Telecommunications Service—	
श्री जार्ज फर्नेंडीस	Shri George Fernandes	4—5
सेवुर स्टेशन पर मंगलौर-मद्रास एक्सप्रैस के पटरी से उतर जाने के बारे में वक्तव्य —	Statement *re* Derailment of Managalore-Madras Express at Sevur Railway Station—	
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	5—6
नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter under Rule 377—	
जून, 1975 में आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रि परिषद् की सलाह के बिना जारी किये जाने का समाचार	Reports that June, 1975 proclamation of Emergency was issued without Council of Minister's advice	6—7
वित्त विधेयक, 1977—	Finance Bill, 1977—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	7—8
श्री बशीर अहमद	Shri Bashir Ahmed .	8
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	10—11
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	11

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–	Motion of Thanks on the Address by the Vice-President acting as President—	
श्री कर्पूरी ठाकुर	Shri Karpoori Thakur . .	11—12
श्री के० एस० हेगड	Shri K.S. Hegde	12—16
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan . . .	16—17
श्री जगदीश प्रसाद माथुर	Shri Jagdish Prasad Mathur .	28
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर	Shrimati Ahilya P. Rangnekar . .	29—30
श्री सुशील कुमार धारा	Shri Sushil Kumar Dhara . . .	30
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwara Rao .	31—32
श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे	Shri Yadvendra Dutta Dubey . .	32—33
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagasan .	33—35
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y.P. Shastri . . .	35

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 31 मार्च, 1977/10 चैत्र, 1899 (शक)

Thursday, March 31, 1977/Chaitra 10, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इलायची अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं श्री मोहन धारिया की ओर से इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2898 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०15/77]

सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री एच० एम० पटेल : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण और पुनरीक्षण) दूसरा

[श्री एच.एम० पटेल]

संशोधन स्कीम, 1976, जो दिनांक 27 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4466 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 1976, जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 761 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी०16/77]

(2) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 792 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(3) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (छठा संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 793(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०17/77]

(4) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियों और दायित्वों का विवरण तथा लाभ और हानि लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०18/77]

(5) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23 की उपधारा (5) और धारा 18 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०19/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विदेशों की कुछ गुप्तचर एजेंसियों को महत्वपूर्ण तथा गुप्त जानकारी दिये जाने के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों का समाचार

Shri Shyam Sunder Das (Sitamarhi): I draw the attention of the Hon. Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon:

> "Reported arrests made in connection with the alleged transmission of important and classified information of economic and strategic value to intelligence agencies of certain foreign countries through their missions."

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लिखित जासूसी गतिविधियों की जांच पड़ताल की जा रही है। परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से तथ्यों को प्रगट करना इस अवस्था में लोक हित में नहीं होगा।

Shri Shyam Sunder Das : You would remember that about a year and a half ago, Shri D'Suza who was Director of Press Information Bureau was arrested and given rigorous imprisonment for 12 years. Certain officers including the Private Secretary of former External Affairs Minister have also been held. These officers were engaged in giving important information to C.I.A. and K.G.B., the intelligence agencies of U.S.A. and the Soviet Union. I demand a personal explanation from Shri Chavan as well. In case he had knowledge of the same, this House has a right to expel him from his membership of the House.

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री श्याम सुन्दर दास : मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि गृह मंत्री जनहित की दुहाई दे कर कार्य करने की श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार की नीति न अपनायें।

Chaudhuri Charan Singh : If the hon. member hands over to me the information in his possession, I shall try to make use of it.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमांड हार्बर) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यदि विदेशी गुप्तचर ऐजेंसियां हमारे आंतरिक मामलों में दखल देती हैं तो उनके साथ सख्ती बरती जानी चाहिए।

लुर्गी इण्डिया लि० का सम्बन्ध ऐसे मामलों से है जिनका सम्बन्ध भारत की सुरक्षा से है। इसके प्रबन्ध निदेशक जर्मनी के फरार युद्ध अपराधी हैं जिनकी श्री संजय गांधी से मंत्री है।

इस मामले में लगभग 12-13 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें योजना आयोग के निदेशक श्री आर० पी० वर्शनोई भी हैं। यह अन्यन्त गम्भीर मामला है। विदेशी लोग प्राय: उसके घर जाया करते थे।

भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री चव्हाण के अतिरिक्त निजी सचिव महावीर प्रसाद भी पकड़े गये हैं।

एक कनेडियन-अमरीकी फर्म को कुद्रेमुख का ठेका दिया गया जिसकी जानकारी टुकरू आयोग द्वारा पाइप लाइन षड़यन्त्र के नाम से दी गई। इसका नियंत्रण सी० आई० ए० कर रही है। गृह मंत्री इस बारे में सही जानकारी दें। इन लोगों ने मिग तथा अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों में प्रयुक्त विशेष धातुओं की जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की।

मैं विदेश मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विदेश विभाग के अमरीकी खण्ड के अधिकारियों का भी इसमें हाथ था अथवा नहीं। मैं उन अमरीकी अधिकारियों के नाम भी जानना चाहता हूं जिनका इन क्रियाकलापों में हाथ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल एक प्रश्न पूछना चाहिए था।

श्री ज्योतिर्मय बसु। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री इन तथ्यों के बारे में विशिष्ट जानकारी दें।

The Minister of Home Affairs (Chaudhuri Charan Singh) : The matter before the House is serious, but the hon. Member would agree that it would not be in public interest to reveal the facts until the investigations are completed.

I request the hon. Member to hand over whatever information is in his possession for appropriate action.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): We want cordial relations with all countries of the world. But we do not want any country to interfere in our internal affairs. It is surprising that Shri Varshni is an agent of both the C.I.A. and K.G.B. These countries spend crores of rupees on intelligence.

In a book published on the security of India, it has been stated that C.I.A. and K.G.B. spend a lot of money in North India.

Is it a fact that the two Americans who were expelled from India were not paid anything by the U.S. Embassy ?

I would like the External Affairs Ministry to take up the matter at international level so that such type of activities may not be carried on in any country.

Would the Government stop such activities in our country ?

Chaudhuri Charan Singh : The hon. Member may discuss the matter with me. He would be satisfied with the action taken by the Government.

श्री ज्योतिर्मय बसु : नजरबंद व्यक्तियों की रिहाई के मामले को मैं यहां उठाना चाहता हूं। मैंने इस बारे में नोटिस भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास प्रतिदिन सैकड़ों नोटिस आते है। जब तक मैं अनुमति नहीं देता कोई मामला नहीं उठाया जाये।

डाक और तार सेवाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON SOME ASPECTS OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICE

The Minister of Communications (Shri George Fernandes): Having taken over the charge of the Ministry of Communications, I would like to inform the House about certain broad policy changes which I am contemplating. Although I have yet to study fully the priorities which the Posts & Telegraphs Department has allotted to various aspects of postal and telecommunication development, at this stage, I would like to make it clear that I intend to lay greater emphasis on the extension of the Postal and the Telecommunication net-work into the rural areas. Hilly, tibal and backward areas will receive special priority.

At present, 'Daily Dak Scheme' does not extend to 31,890 (4·63%) of out 6·8 lakh villages It will be my endeavour to extend the Daily Dak Delivery Scheme to all the villages in the country during the year. Over 100 low cost Post Office buildings would be constructed in the rural areas and in smaller towns. These will provide better conditions of work to staff and better facilities to the Public visiting the Post Office.

The facility of booking registered articles by Village Postman an Extra Departmental Delivery Agents was in vogue so far only in the Maharastra Postal Circle. This facility now be extended to the other Postal Cirlcles and will become available in all the rural areas of the country.

On the telecommunication side, out of 7,653 places in the country of the status of Block Headquarters and above which are nerve centres of development of the rural areas, telephone facilities do not exist at 1,127 places and at 968 places, telegraph facilities are not available. It will be my endeavour to extend telephone and telegraph facilities to all these places during the coming financial year.

I am happy to inform the House that today we are connecting Delhi on Subscriber Trunk Dialling (STD) service with four State Capitals—Bangalore, Bhubneshwar, Calcutta and Kochima the two major towns of the country, Bombay and Calcutta, would also be linked with STD service tonight. This service is also being provided on a number of other routes today like Delhi and Bhiwani and Ambala and Delhi. Subscriber Trunk Dialling Service provides faster communications and helps in the integration of the country.

The Telephone Advisory Committees have been set up in 96 towns in the country. Terms of 61 of these have elapsed while those of most of the remaining ones would expire during the year. It is our intention to review the whole philosophy and rationale behind this institution of Telephone Advisory Committees during the next three months.

I am also placing great importance on the development of our Overseas Communications Service. Now that the second satellite earth station at Dehra Dun has been commissioned, we are in a position to have links with many more countries. During the year, we aiming at having links with 36 out of the 39 countries which have earth stations looking towards the India Ocean satellite of INTELSAT.

I am keen that the indigenous production of telecommunications equipment should increase at a much faster rate than in the past so that we become self-sufficient in our requirements of such equipment. Already the Indian Telephone Industries Ltd. the Hindustan Teleprinters Ltd. and the P & T factories are doing good work in this direction. It will be my endeavour to secure greater co-operation of the officers and workers of these units in achieving this objective.

I am aware of the difficulties which the staff has undergone in the recent past. With a view to ensuring fair play and justice I have decided to drop all disciplinary cases against staff in the P&T Department who were victimised in the strikes in 1968 and 1974. The disabilities which have been imposed on the members of the staff as a result of those strikes will be removed, and their original position restored.

After I took over the charge of the Ministry, the officers and the leaders of the P & T Staff Unions have met me. I am deeply moved by the enthusiasm of the officers and the P & T workers who have pledged their support to me in providing better and more courteous service. I have no doubt that this will help us in achieving better results in the near future.

सेवुर स्टेशन पर मंगलौर-मद्रास एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT re. DERAILMENT OF MANGALORE MADRAS EXPRESS AT SEVUR RAILWAY STATION.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मंत्री महोदय को उन लोगों के बारे में भी बताना चाहिये जिन्हें आपात स्थिति के दौरान नौकरी से हटा दिया गया था।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं 30 मार्च, 1977 को 28 अप मंगलौर–मद्रास एक्सप्रैस के दक्षिण रेलवे के सेवुर स्टेशन पर पटरी से उतरने के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

इस सदन को यह सूचित करते हुए मुझे अत्यन्त खेद है कि 30–3–1977 को लगभग 12.50 बजे 28 अप मंगलूर–मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी जिसमें 16 सवारी डिब्बे लगे थे और जिसे डीजल इंजन खींच रहा था, जब दक्षिण रेलवे के मद्रास मंडल पर काटपाडी–अ कोणम बड़ी लाइन के दोहरी लाइन वाले खंड पर सेवूर स्टेशन से गुजर रही थी तो इंजन के पीछे लगे पांचवें से 13वें डिब्बे तक 9 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से 6 सवारी डिब्बे उलट गये, अप लाइन में रुकावट पैदा हो गयी लेकिन डाउन लाइन सीधे (थ्रू) यातायात के लिए उपयुक्त रही।

अब तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार इस दुर्घटना के परिणाम-स्वरूप 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, 17 व्यक्तियों को गंभीर चोटें पहुचीं और अन्य 33 व्यक्तियों को हल्की चोटें आयीं। दुर्घटना के बारे में सूचना मिलने पर, सहायक चिकित्सा अधिकारी, काटपाड़ी, दुर्घटना स्थल के लिए तुरन्त रवाना हो गये। मद्रास और जोलारपेट्टै से चिकित्सा सहायता गाड़ियां और सड़क एम्बुलैंस दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गये। अन्य विभागाध्यक्षों के साथ दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडल अधीक्षक, मद्रास और मंडल के अन्य अधिकारीगण सहायता और बचाव कार्य की देख-रेख के लिए सड़क यातायात द्वारा दुर्घटना स्थल पर अविलम्ब पहुंच गये। सभी घायल व्यक्तियों को सड़क–एम्बुलैंस द्वारा वेल्लूर ले जाया गया और उन्हें मिशन अस्पताल और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मृत और घायल व्यक्तियों के सबसे निकट सम्बन्धी को अनुग्रह भुगतान करने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

अपर सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड, वायुयान द्वारा दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये हैं।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, सम्भवतः इस दुर्घटना के बारे में अपनी सांविधिक जांच पड़ताल 1–4–1977 से शुरू कर देंगे।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

जून, 1975 में आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रि परिषद् की सलाह के बिना जारी किये जाने का समाचार

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय): श्रीमान जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आन्तरिक आपात स्थिति को चुनावों के बाद ही समाप्त कर दिया गया। समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि आपात स्थिति की उद्घोषणा बिना मंत्रिमण्डल की सलाह के की गई तथा मंत्रिमण्डल में इसका उल्लेख उद्घोषणा के बाद ही किया गया। माननीय श्री जगजीवन राम ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र देने के बाद 4 फरवरी के समाचार पत्रों के लिए

इस आशय का वक्तव्य दिया। उन्होंने यह भी बताया कि लोक सभा को भंग करने तथा चुनाव करवाने के निर्णय के बारे में भी मंत्रिमण्डल के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया। यदि स्थिति वास्तव में ऐसी थी, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 74(1) का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। वर्तमान सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इस प्रकार की बातों को रोकने का वचन जनता को दिया है, अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके साथ ही मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार को अनुच्छेद 74(1) की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के बारे में भी उपयुक्त कदम उठाने चाहिये।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : 25 जून, 1975 को जो आपात स्थिति घोषित की गई उसके बारे में वास्तविक स्थिति तो यह है कि राष्ट्रपति ने तो उद्घोषणा पर उसी दिन अर्थात् 25 जून को हस्ताक्षर कर दिये थे, परन्तु मंत्रिमण्डल ने इसका अनुमोदन 26 जून को किया। अतः मंत्रिमण्डल का अनुमोदन आपातस्थिति के बाद हुआ। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति ने 28 मार्च, 1977 को दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये अपने अभिभाषण में यह संकेत कर दिया है कि सरकार इसके बारे में जानती है तथा भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों में आपातस्थिति की उद्घोषणा की संभावना को रोकने हेतु पर्याप्त उपाय करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। इस प्रश्न पर पूर्ण गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है तथा सरकार इस सम्बन्ध में उचित समय पर समुचित उपाय करेगी।

वित्त विधेयक, 1977

FINANCE BILL, 1977

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि आयकर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये चालू रखने के लिये और सहायक सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित उपबन्धों को चालू रखने का तथा उक्त वर्ष में नमक पर शुल्क न लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्तुत लघु विधेयक का उद्देश्य वर्तमान वित्तीय ढांचे को वर्ष 1977–78 के वित्तीय वर्ष के लिए बनाये रखना है। तदनुसार आय कर और अधिभार की वे दरें जो 1976–77 के दौरान वेतन से कर की स्रोत पर कटौती के लिए, चालू आय के सम्बन्ध में उस वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के लिए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 1976 में दी गई थीं उन्हें निर्धारण वर्ष 1977–78 में निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चालू रखने का प्रस्ताव है।

वित्त अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन, शुद्ध कृषि आय को व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब आदि की दशा में उनकी कृषि आय से भिन्न आय को लागू होने वाली आय-कर की दर के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाता है। यह प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम के इन उपबन्धों को निर्धारण वर्ष 1977–78 के लिए कृषि आय से भिन्न आय को लागू होने वाली आय-कर की दर के अवधारण के प्रयोजनों के लिए चालू रखा जाये। यह प्रस्ताव है कि इन्हीं पुरानी दरों

को चालू आय पर आय-कर प्रभारित करने के लिए और उन दशाओं में चालू रखा जाएगा जहां वित्तीय वर्ष 1977–78 के दौरान जल्दी निर्धारण करना आवश्यक है। शुद्ध कृषि आय की संगणना से सम्बन्धित नियमों को बदला जा रहा है जिससे निर्धारण वर्ष, 1976–77 से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए ऐसी हानि का जिसका मुजरा नहीं किया गया है, निर्धारण वर्ष 1977–78 से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए कृषि आय का मुजरा किया जा सके और निर्धारण वर्ष 1977–78 से सुसंगत पूर्व वर्ष की बाबत ऐसी हानि का जिसका मुजरा नहीं किया गया है वित्तीय वर्ष, 1977–78 के दौरान "अग्रिम कर" के संदाय के प्रयोजनों के लिए शुद्ध कृषि आय का अवधारण करने में मुजरा किया जा सके।

वेतन से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 1976–77 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए वित्त अधिनियम, 1976 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में दी गई दरें वित्तीय वर्ष 1977–78 के दौरान ऐसी आय पर स्रोत से कर की कटौती के लिए चालू रखी जाएंगी।

विधेयक का खण्ड 2 वित्तीय वर्ष, 1977–78 के लिए यह प्रस्ताव करता है कि वित्त अधिनियम, 1976 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची के उपबन्ध पारिणामिक और अन्य आवश्यक उपबन्धों सहित वित्तीय वर्ष, 1977–78 के लिए लागू होंगे।

खण्ड 3, 4 और 5 अप्रत्यक्ष करों के बारे में हैं। खण्ड 3 सभी आयातित मामलों पर उनके मूल्य के बीस प्रतिशत की दर से सहायक सीमा-शुल्क 31 मार्च, 1978 तक उद्गृहीत करने के लिए है। खण्ड 4 सभी उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर उनके मूल्य के बीस प्रतिशत की दर से सहायक उत्पाद-शुल्क 31 मार्च, 1978 तक उद्गृहीत करने के लिए है। खण्ड 5 यह उपबन्ध करने के लिए कि नमक पर एक वर्ष के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

मुझे आशा है कि इस लघु तथा स्पष्ट विधेयक को सदन एकमत होकर स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयकर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये चालू रखने के लिये और सहायक सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित उपबन्धों को चालू रखने का तथा उक्त वर्ष में नमक पर शुल्क न लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

श्री बशीर अहमद (फतहपुर): आपात स्थिति के दौरान आंसुका तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत अनेक लोगों को नजरबंद किया गया। इनमें से कुछ व्यापारी भी थे। इनमें से अधिकांश लोगों को केवलमात्र इस लिए नजरबंद किया गया कि उस समय के प्रधान मंत्री की गद्दी बनी रहे। अतः अब उनमें से जिन लोगों को छोड़ा गया है, उन्हें आयकर में कुछ छूट दी जानी चाहिये क्योंकि वह अधिकांश समय तक अपना काम-धंधा नहीं कर पाये हैं तथा उन्होंने अनेक प्रकार की यातनायें झेली हैं। उन्हें कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिये। विधेयक के खण्ड 2 के बारे में यही मेरा संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि और वक्ता नहीं हैं। प्रश्न यह है :—

"कि आय-कर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए चालू रखने के लिए और सहायक सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित

उपबन्धों को चालू रखने का तथा उक्त वर्ष में नमक पर शुल्क न लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Father Anthony Murmu (Rajmahal) : I represent that Adivasi area where there are mines and heavy industries. But I am sorry to point out that distribution of the country's wealth is not equitable. Today, more money is going to cities while villages, which are actual sources of natural wealth, are being ignored.

Whatever is produced there is sent out of the villages and the local people starve. They have neither clothes to wear nor houses to live in. The time has now come when this injustice must be ended. If it is not done at the earliest, there may be trouble in those areas. My humble submission is that our areas must be given a proportionate share of their produce.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्रीमान्, मैं इस अवसर पर केवल कुछ बातों का ही उल्लेख करना चाहता हूं। विपक्ष की ओर से हमारे मित्र श्री सुब्रह्मण्यम ने यह धारणा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। किन्तु वास्तविकता यह है कि इस समय कृषि उद्योग तथा अन्य सभी क्षेत्रों में अव्यवस्था फैली हुई है। काफी समय से लगभग 10 पटसन मिलें बन्द पड़ी हुई हैं। अनेक मिलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा वह किसी भी समय बन्द हो सकती हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार रुग्ण मिलों के बारे में क्या नीति अपनाने जा रही है क्योंकि अधिकांश मिलों को तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने जान बूझ कर रुग्ण बना दिया है।

हम यहां ग्रामीण उद्योगों तथा ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बहुत कुछ सुनते आये हैं परन्तु अभी तक उसके बारे में कुछ ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। इसी प्रकार देश में हथकरघा बुनकरों की दशा भी दयनीय है। उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अतः उन्हें राहत पहुंचाने के लिए भी शीघ्र ही कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

जनता सरकार को इन मामलों को हल करने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। अतिरिक्त रोजगार क्षमता पैदा करने के अलावा, मैं वर्तमान रुग्ण मिलों और बेरोजगार हुए लाखों कर्मचारियों की हालत के बारे में जानना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

मैंने बजट पत्रों में देखा है कि पुलिस तथा जेलों पर व्यय बढ़ाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्या यह सच है कि कांग्रेस सरकार पुलिस और जेलों पर निर्भर करती थी? वे जनता को अपना मुंह नहीं दिखा सकते और अपनी नीतियां नहीं बता सकते। पुलिस या जेलों पर व्यय में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। पूर्वी भारत में सरसों का तेल 16 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जाये। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम किया जाना चाहिये।

जहां तक अनिवार्य जमा योजना का सम्बन्ध है, लोग चाहते हैं कि इस योजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और यह राशि उन्हें वापस कर दी जानी चाहिये। आम जनता की यही मांग है। वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

मैं रेल मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने सभी मुअत्तिल और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली का आश्वासन दिया है । ऐसा ही अन्य लोगों के बारे में भी किया जाना चाहिये । जो कि प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवा में नहीं थे अपितु गैर-सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे थे । इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये । सरकार इस सम्बन्ध में एक ऐसी नीति अपनाये कि ऐसे सभी कर्मचारियों को, जिन्हें बदले की भावना से बर्खास्त किया गया था, वापस लिया जायेगा ।

कुछ मिलों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने अपने हाथों में लिया था । ये मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही हैं । यह लोगों को लूट रहा है । यह निगम उन गुंडों को राजनीतिक शरण दे रहा है जिन्होंने उनके लिये चुनावों में काम किया था । मंत्री महोदय इस बात की जांच करें ताकि भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके ।

Shri Bateshwar Hemram (Dumka) : The people living in the Santhal Paragana area have been very much neglected . Their living conditions are very pitiable. Every day they have to walk 30 to 40 miles in search of work. Even then they do not get work for more than 4 months in a year. If some factories are opened in this area these people will get employment and their lot will improve.

There is no dearth of land in this area and the people have enough of it. But there are no means of irrigation and also the land is not cultivable. It is the time some concrete steps are taken to make it cultivable. At present, whatever money is being given for this purpose is being devoured by the contracors. If big wells are constructed in this area the people there will be much benefited.

It is also necessary to provide a railway line in this area. At present there is none and the people have to walk long distances which sometimes results in deaths. If a railway line and some roads are constructed and some factories are set up there, it would give much relief to the people there.

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

श्री बशीर अहमद : मैं ऐसा नहीं चाहता ।

संशोधन सभा की अनु मति से वापिस लिया गया ।

The amendment was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अन्य खण्डों पर कोई संशोधन नहीं है । मैं उन्हें सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 से 5, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 3 to 5, Clause 1 the Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ करते हैं ।

श्री कर्पूरी ठाकुर (समस्तीपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 28 मार्च, 1977 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

The Acting President has on the basis of the result of recent elections told the country and the world at large that the roots of democracy in India are very deep and the people have full faith in it. The Acting President also said that the people of India not only believe in democracy but also know how to bring about a change of power and to take the country farward on the path of development.

It will be interesting to note that according to the figures of the election results obtained from the Election Commission the Congress secured 34·54% votes while Janata Party and their allies secured 65 percent. These figures prove that it is the first time that a government enjoying real majority support has been set up in the country. The result of all the earlier elections show that while the Congress secured more seats, the percentage of votes secured was always less. Thus it has all along been ruling with the support of minority votes. But this time we have a government enjoying real majority support. The people of India have by these elections proved that the Spirit of freedom is immortal and no body can destroy it, however powerful he may be.

The Acting President has said in his address that emergency was imposed with a view to strengthen the hands of an individual and there was emergency of extra-constitutional centres of power in the country. We are grateful to him for placing these facts before the world.

The Acting President has rightly stated in his address that black laws such as MISA and prevention of publication of objectionable Matter Act would be revoked and the Feroz Gandhi Act which provided for inmunity for the publication of parliamentary proceedings will be revived again. The Acting President deserves compliments for this statement.

The former Finance Minister can not take the credit for the revocation of emergency, because the final announcement of its revocation was made at 5 A.M., when the Rai-Bareilly result was announced and Smt. Gandhi had lost the election.

It has been stated that agricultural as well as industrial production has stepped up and that was an achievement of their government. But the fact is that while the target of food production in 1973-74 was fixed at 129 million tonnes in the fifth five year plan the actual production in 1975-76 was only to the tune of 118 million tonnes. According to the draft of the fifth five year plan while the target of foodgrains production was fixed at 140 million tonnes for the year 1978-79 it was slashed down to 120 million tonnes in the fifth final five year plan. It is the greatest fraud against the people of India. The Planning Commission after a good deal of research, has arrived at th conclusion that the foodgrains requirement of the people of India in 1978-79 will be 146 million tonnes. But one will find that in 1975-76 the production was only 118 million tonnes. They have further stated that there was a gap of 10 to 30% to meet the full requirements of the people. One can, therefore, see how much we will be lagging behind in the sphere of agricultural production in 1975-76 and in 1978-79. Similarly in production in Textile industry has also been going down continuously and the Supply of cloth per head has gone down. Thus one can safely conclude that the people of India have become poorer than in the past and the percentage of people living below the poverty line has increased from 40 percent to 66 percent. Still it is being said by the spoksmen of the previous government that there has been considerable economic progess during these last years.

Unemployment has also been rapidly incresing in the Country and it is proved by the fact that the number of unemployed on the live registers of employment exchanges has increased from 87 lakhs on 1st July, 1975 to 97 lakhs on the 1st July 1976. The latest figures show that their number will reach 115 lakhs. The Finance Minister should take steps to ascertain the Correct number of unemployed people in the country.

The country is facing today a very peculiar situation because on the one hand poverty and unemployment is increasing and the other economic disparity growing. The previous government had been making grand land claims of having distributed surplus land to landless people but there are figures to show how much hollow their claims are. According to the figures available from Agriculture Ministry, about 34 lakhs of acres of land was declared surplus, out of which 11 lakhs of acres of land were distributed and only 7 lakhs of persons were benefited thereby. It is too disheartening feature. If serious fraud has been committed against the people in the name of distribution of land to landless people.

As stated in the Janata Party election manifesto, we are committed to strengthen democracy and bring about socialism in the true sense, and it is hoped that the present government will keep up their promises.

श्री के० एस० हेगड़े (बंगलौर दक्षिण): मैं श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, हाल ही में हुये चुनाव अपने आप में अनूठे हैं। ये चुनाव एक प्रकार से दूसरा स्वतन्त्रता संघर्ष था। हमने चुनाव से पूर्व 20 महीनों के दौरान जो स्वतन्त्रता खो दी थी उसे पुनः स्थापित करने के लिये ही यह चुनाव सम्बन्धी संघर्ष लड़ा गया।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि तत्कालीन सरकार तथा सत्तारूढ़ दल ने हमारी आजादी छीन ली थी और 25 जून 1975 को अकारण ही आपात-स्थिति की घोषणा कर दी गयी थी।

हमें बताया गया है कि आपात स्थिति की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत मंत्रि परिषद की अनुमति के बिना की गयी थी। आपात स्थिति की घोषणा केवल तभी की जा

सकती है जबकि राष्ट्र को किसी बाहरी खतरे अथवा आन्तरिक अव्यवस्था का डर हो, किन्तु सच्चाई तो यह है कि यदि कोई खतरा था तो केवल प्रधान मंत्री को अपनी कुर्सी का । 25 जून को उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन प्रधान मंत्री को बेशर्त रोकोदेश देने से इन्कार कर दिया । जनता मांस कर रही थी कि कम से कम जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे देता, उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिये । इसी बात को लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे, जो कि उस समय केन्द्रीय मंत्री मन्डल में भी नहीं थे, ने अर्द्धरात्रि को राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा करने को कहा । जब कि नियम यह है कि प्रधान मंत्री केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के बिना किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर स्वयं निर्णय नही ले सकता । किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसा किया है । अब पता चला है कि आपात स्थिति की घोषणा कर देने के बाद दूसरे दिन मंत्रीमंडल को इस सम्बन्ध में सूचित किया गया था । आश्चर्य की बात तो यह है कि मन्त्री परिषद के जाने माने सदस्यों ने भी उनकी हां में हां मिला दी । मुझे एक अनुभवी प्रशासक श्री चव्हाण से ऐसी अपेक्षा नही थी कि वह ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे (व्यवधान) मंत्री परिषद ने इसका तनिक भी विरोध नहीं किया । इसके तत्काल पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर दिया कि अनुच्छेद 14 या 21 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता । 1971 की बाह्या आपातस्थिति के द्वारा अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत सभी अधिकार पहले ही समाप्त किये जा चुके थे । वाह्या आपात स्थिति को समाप्त करने की विपक्ष ने कई बार मांग की किन्तु सरकार निराधार बहाने पर विपक्ष की इस मांग को ठुकराती रही ।

तत्कालीन सरकार यह कभी नहीं चाहती थी कि संविधान में प्रदत्त सातों अधिकारों का जनता उपयोग करे । माननीय अध्यक्ष महोदय आपको तो ज्ञात है कि अनुच्छेद 21 हमारे जीवन तथा अधिकारों की रक्षा करता है । संविधान में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है । उस समय महान्यायवादी ने तो उच्चतम न्यायालय में यहां तक कह दिया था कि अनुच्छेद 21 को निलम्बित करने से तुम्हें मारा भी जा सकता है और इस बारे में कोई पूछ भी नहीं सकता । हजारों लोग गिरफ्तार तथा नजरबंद किये गये । गृह मंत्रालय को भी पता नहीं कि कितने लोग गिरफ्तार किये गये । प्राप्त जानकारी के अनुसरा आपात स्थिति के दौरान एक लाख पचास हजार से भी अधिक लोगों को नजरबंद किया गया । संसद सदस्यों को केवल इसलिये नरजबंद किया गया कि उन्होंने सत्ताारूढ़ दल अथवा प्रधान मंत्री की बातों को नहीं माना । श्री चन्द्रशेखर, श्री रामधन तथा श्री मोहन धारिया को, जो कांग्रेस के सदस्य थे नजरबंद क्यों किया गया ? इसका एक मात्र कारण यही है कि उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों का समर्थन नहीं किया । जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया उन्हें माहन अपराधी समझा गया और जिन्होंने उनकी हां में हां मिलायी उन्हें महान देश-भक्त । प्रत्येक मंत्री उनके आगे नतमस्तक रहता था ।

जिस तरह आपात स्थिति के दौरान हमारे देश में मंत्रीगण प्रधान मंत्री के आगे भयभीत रहते थे उनकी विश्व में कहीं मिसाल नहीं मिलेंगी । स्वाभाविक है कि उन्हें डर था कि यदि विरोध किया तो हों भी गिरफ्तार कर दिया जायेगा ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् दो बजे तक के लिये स्थगित हुयी ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen hours of the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुयी ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock

(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए)

(Shri Dhirendra Nath Basu in the Chair)

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

Motion of Thanks on the Address by the Vice-President acting as President—*Contd.*

श्री के० एस० हेगड़े : तो आपात स्थिति के दौरान मंत्री परिषद जनता के सक्षम तथा स्वतन्त्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे अपितु श्रीमती इन्दिरा गांधी के इशारों पर नाच रहे थे । आपात स्थिति की घोषणा के अतिरिक्त कई अत्याचार भी किये गये । कई अनुचित कार्य हुये किन्तु मन्त्रि परिषद ने अपनी जवान बन्द रखने में ही अपना हित समझा । आपात स्थिति हटाने की मांग करने वाले छात्रों को भी नजर बंद कर दिया गया और उन्हें परीक्षाओं में बैठने की भी अनुमति नहीं दी गयी । कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया जिसके कारण हजारों परिवारों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है । केवल सरकारी मामलों में ही नहीं, अपितु अन्य मामलों में भी मन्त्रिपरिषद श्रीमती इन्दिरा गांधी का दास बन कर रह गया । श्री संजय गांधी के दौरों पर लाखों रुपया व्यय किया गया ; इतिहास में इस तरह के कदाचारों का कहीं उदाहरण नहीं मिलता । यहां तक कि अंग्रेजों के शासन काल में भी इस तरह की बातें नहीं हुयी । वे कम से कम मानव अधिकारों का सम्मान तो करते थे । जो कोई भी गिरफ्तार किया गया उसके बारे में समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया और न उस व्यक्ति को यह बताया गया कि उसे किन कारणों से नजरबंद किया गया है ।

ऐसे सभी कार्य किये जा रहे थे लेकिन सभी कांग्रेसी संसद सदस्य सरकार का समर्थन करते रहे बड़े बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों तक को पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है ? कई प्रकार के जुल्म हुए लेकिन मंत्री परिषद ने अपने आंख कान और मुंह सब कुछ बंद रखा । उन्होंने देश के लोगों के हित के लिए कुछ न किया । यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि न केवल सरकारी मामलों में अपितु अन्य मामलों में भी मंत्रि परिषद श्रीमती इन्दिरा गांधी के परिवार की गुलाम बन गई । 25 जून, 1975 से 18 जनवरी, 1977 तक जितने भी दिन गुजरे वे देश के इतिहास में सर्वाधिक अन्धकारपूर्ण दिन थे । ऐसी बातों की पुनरावृत्ति फिर नहीं होनी चाहिये । अतः आपात स्थिति की घोषणा करने की क्रिया प्रतिबंधित होनी चाहिये । उसके उपयोग पर कठोर नियंत्रण होना चाहिये ।

हमारा संविधान विधि की सर्वोच्चचता पर आधारित है । लेकिन श्रीमती गांधी और उसकी सरकार ने इस व्यवस्था की अवहेलना की और एक परिवार का राज्य स्थापित कर लिया । चुनाव कानून में भूतलक्षी प्रभाव से पूर्ण परिवर्तन करके संसद द्वारा यह घोषणा करवाई गई कि श्रीमती गांधी का चुनाव पूर्णतया वैध था । उन्होंने हर प्रकार से न्यायपालिका का अपमान किया और उसे सरकार का प्रत्येक आदेश मानने पर विवश किया । उन्होंने वचनबद्ध न्यायाधीशों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । यदि कोई भी न्यायाधीश किसी महत्वपूर्ण मामले में सरकार के विरुद्ध फैसला देता था तो उसका तबादला कर दिया जाता । न्यायपालिका की स्वतंत्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यदि किसी न्याया-

धीश का तबादला राजनीतिक कारणों से किया गया है तो उसे पुनः पहले वाले स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिये। हमें न्यायपालिका की स्वतन्त्रता कायम रखनी चाहिये।

आपात स्थिति के दौरान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 20 में उल्लिखित सभी अधिकारों को पूर्णतया छीन लिया गया था। संविधान के अध्याय 3 में उल्लिखित वे सभी अधिकार जो संयुक्त चार्टर से लिए गये थे, पूर्णतया निलम्बित कर दिये गये। इससे संविधान का रूप ही बिगाड़ दिया गया है। यह सब उस समय किये गये जब लोक सभा की अवधि का विस्तार किया गया। भूतपूर्व सरकार ने कहा कि 1971 में जनता ने उन्हें संविधान में संशोधन करने का आदेश दिया। लेकिन आपात स्थिति के दौरान 1976 में उन्होंने संविधान में संशोधन किया। श्रीमती गांधी ने कहा कि आपातस्थिति की उपलब्धियों को समेकित करने की दृष्टि से उनकी सरकार संविधान में संशोधन कर रही है। उन्होंने 31ग अनुच्छेद बनाया जिसके अनुसार सभी विधान सभाएं अर्थात् केन्द्र तथा राज्यों की विधान सभाएं, अनुच्छेद 14,19 और 21 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को रद्द करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वे सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं जबकि जनता पार्टी उन्हें छीनना चाहती है। वे ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि सम्पत्ति का अधिकार सांविधिक होगा न कि संवैधानिक या मूल अधिकार।

सम्पत्ति के अधिकार की आड़ में श्रीमती गांधी की सरकार जनता की स्वतंत्रता छीनना चाहती थी। आज हमें सम्पत्ति का अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं क्योंकि अनुच्छेद 31(2) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति मामूली राशि की अदायगी पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली जा सकती है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : भूमि की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत तो न्यूनतम मूल्य दिया जाता है।

श्री के० एस० हेगड़े : आपकी जानकारी सही नहीं है। हम जानते हैं कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान सभी अधिकार छीन लिए गये थे। अधिकार ऐसी संसद् द्वारा छीने गये जिसे कोई शक्ति प्राप्त न थी। अब हम संविधान के मूल रूप को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि प्रतिपक्ष के सदस्य हमारा साथ देंगे।

जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है पिछले छः वर्षों के दौरान निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान मूल्यों में भी बहुत वृद्धि हुई। लोगों को निर्वाह करना कठिन हो रहा है। गरीबी हटाओ के नाम पर आप को पिछली बार मत मिले थे लेकिन गरीबी तो बढ़ी है।

निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की दृष्टि से निर्वाचन कानून में आवश्यक परिवर्तन करने सम्बन्धी जनता की मांगो को स्वीकार नहीं किया गया और वही निर्वाचन विधान में ही परिवर्तन किया गया। विधान में परिवर्तन यदि किया गया तो ऐसे ढंग से कि मतदाता ही भ्रष्ट हो जायें। कांग्रेस दल को यह विश्वास था कि वह अपनी इच्छानुसार, धन एकत्र कर मतदाताओं में वितरित कर देगी।

राजनीतिक जीवन में ऐसा करना अत्यन्त गम्भीर बात है। वर्तमान सरकार को इस पर ध्यान देकर कोई उपाय निकालना चाहिये। अत्यन्त महत्वपूर्ण बात तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त

करना है। जब तक हम उसे समाप्त नहीं कर देते तब तक आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव नहीं। हमारी सभी उपलब्धियां बेकार हो जायेंगी। अनेक मुख्य मंत्रियों तथा बहुत से मंत्रियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। वे भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। अतः उनके विरुद्ध जांच की जाये।

कई वर्ष पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सभा पाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस सम्बन्ध में संसद् में एक विधेयक भी पेश किया गया था। विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में घूमता रहा और लोक सभा भंग होने के कारण वह भी व्यपगत हो गया है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करना ही नहीं चाहती थी। राजनीतिक भ्रष्टाचार की जन्मदाता भी वही सरकार थी। अतः अब इस सम्बन्ध में कानून बनाये जायें। लोक लेखा समिति ने श्री देवराज उर्स के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये थे। लेकिन उनकी जांच नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : श्री निजलिंगप्पा के विरुद्ध भी तो आरोप लगाये गये थे।

श्री के० एस० हेगड़े : आप ऐसे सभी आरोपों की जांच कराइये। भ्रष्ट लोगों के लिए जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं।

तस्करी के विरुद्ध श्री के० आर० गणेश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभियान चलाया। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें ही मंत्रि पद से हाथ धोना पड़ा। हम चाहते हैं कि तस्करी के विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से अभियान चलाया जाये और उसे समाप्त किया जाये। लेकिन कांग्रेस सरकार ने तो केवल उन्हीं तस्करों को नजरबन्द किया जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया। यह बात सभी जानते हैं कि बहुत से तस्कर जेलों में भी ऐशों आराम का जीवन यापन करते रहे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं नयी सरकार के प्रति शुभ कामनायें व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति का भाषण बहुत संक्षिप्त है। मुझे आशा थी कि यह अधिक बेहतर और कुछ बड़ा होगा। देश यह जानना चाहता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना चाहती है ?

लोगों ने हमारे विरुद्ध मत दिया है और हमने उसे स्वीकार किया है। जनमत आपात स्थिति के विरुद्ध था इसलिए आपात स्थिति हटा ली गई। सदैव के लिए उसे समाप्त कर दिया गया है।

हमने यह भी स्वीकार किया है कि नियंत्रण या संतुलन के बिना कार्यपालिका अथवा नौकरशाही को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने से उनका दुरुपयोग होता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपात स्थिति कांग्रेस की परम्परा अथवा विचारधारा का अंग नहीं है। कांग्रेस ने सदैव लोकतन्त्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा वैयक्तिक स्वाधीनता का समर्थन किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समाजवाद का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी की अपनी वचनबद्धता है, अपनी विचारधारा है, अपने कार्य क्रम हैं। इसकी अपनी समेकित नीतियां हैं जिनके आधार पर इसने गत 30 वर्षों में देश में काम किया है। इन्हीं प्रयासों से कांग्रेस ने आज के आधुनिक भारत का निर्माण करने में भारी योगदान दिया है। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कल वित्त मंत्री ने कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार करने से इन्कार किया था। हम यह नहीं कहते कि हमने सब कुछ ठीक किया है। परन्तु हमने देश की अर्थ-व्यवस्था को

सुधारने के लिये कुछ कार्यवाही की है। विदेशी मुद्रा की स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है और हमने मुद्रास्फीति रोकने में सफलता प्राप्त की है। इसे विश्व की अनेक संस्थाओं ने भी स्वीकार किया है।

लेकिन, मैं देखता हूं कि इन तथ्यों को स्वीकार न कर के लोगों ने नकारात्मक रवैया अपनाया है। उन्हें याथार्थवादी होना चाहिये। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई प्रकार की समस्याएं हैं। उनका हल बहुत कठिन है। हमें अपने लोगों को हमेशा एक जैसा नही समझना चाहिये। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिये।

वित्त मंत्री ने एक दस्तावेज का उल्लेख किया है और कहा है कि यह इस सरकार की विचारधारा, नीति और कार्यक्रम को नहीं दर्शाता है। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी विचार धारा और कार्यक्रम क्या हैं। मैं देखता हूं कि विभिन्न विचारधारा और दार्शनिक प्रवृत्ति वाले लोग एक होकर सरकार में बैठे हैं। यदि वे एक दल होकर कार्य करना चाहते हैं तो इसका प्रयास करें। मैं इसके लिए शुभकामना करता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि गत् 30 वर्षो में विपक्ष में बैठकर कार्य करने की पुरानी आदत छोड़ देनी चाहये, उसे भूल जाना चाहिये। उन्हें आपात स्थिति के लिये कांग्रेस से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिये क्योंकि अपात स्थिति अब समाप्त की जा चुकी है।

शीघ्र ही आर्थिक सम्मेलनों का आयोजन होगा। हमने आर्थिक सहयोग सम्मेलनों में भाग लिया है। विकासशील देशों में हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा कम नहीं की जानी चाहिये। इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि विदेश नीतियों के सम्बन्ध में नई सरकार ने सभी वायदे पूरे करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने हमारी गुट निरपेक्षता की नीति का भी समर्थन किया है क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति किसी पार्टी की नीति नहीं है। यह तो राष्ट्रीय नीति है। मुझे आशा है कि भारत की विदेश नीति सफल रहेगी और भारत नये विदेश मंत्री के नेतृत्व में और अधिक शक्तिशाली बनेगा।

यद्यपि हमने चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है तथापि हमने चुनाव के परिणामों को 42 वें संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार किये जाने के रूप में स्वीकार नही किया है। हम मूलतः संसद् की सर्वोच्चता का समर्थन करते हैं। हमने न्यायपालिका का आदर किया है परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि संसद् सर्वोच्च है। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका की संसद् द्वारा दिये गये कार्यभार को अपने तरीके से कारगर रूप में पूरा करें। लेकिन सभी क्षेत्रों में इसे सर्वोच्चता का दावा नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है।

श्री एस० जी० मुरुगैयन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिलनाडु तथा पण्डिचेरी में लोकप्रिय सरकारें स्थापित करने के लिये वहां की विधान सभाओं के लिये चुनाव कराने का कोई उल्लेख नहीं है।"

2 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने तथा समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

3 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्मचारियों की अनिवार्य जमा राशि लौटाने और न्यूनतम बोनस सुनिश्चित करने के लिये बोनस अधिनियम के पुनरीक्षण का कोई उल्लेख नहीं हैं।"

4 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि तमिलनाडु के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण लाखों कृषि श्रमिक बेकार हो गये हैं तथा राज्य की कृषि उत्पादन की स्थिति पर बुरा प्रभाव पडा है और न ही इस का उल्लेख है कि रैयतों को राहत देने की आवश्यकता है।"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्बन्धित राज्यों में कावेरी नदी के पानी का बटवारा करने का फैसला करने में विलम्ब का कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण तमिलनाडु में कावेरी डेल्टे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

26 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों को आस्थगित मजूरी के रूप में बोनस का अधिकार बहाल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

27 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय स्वाधीनता, शान्ति और प्रगति के लिये तथा रंगभेद, जातिवाद, यहूदीवाद और विभिन्न प्रकार के नवउपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्षरत साम्राज्य-विरोधी शक्तियों के साथ एकता पर आधारित होगी।"

28 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि यहूदी और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अरब जनता के संघर्ष में भारत उनके साथ है।"

29 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भारत अफ्रीका की जनता के साथ, जो साम्राज्यवाद द्वारा चलाये गये नवउपनिवेशवादी आक्रमण से आतंकित है और अपनी आजादी और स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिये महान संघर्ष कर रहे हैं ? "

30 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बावे और नामीबीया के बहादुर लोगों को, जो अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये रंगभेद और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, को लगातार समर्थन देने का कोई उल्लेख नहीं है।"

31 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि संसद् में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भारत समाजवादी देशों के साथ मित्रता और सहयोग की भावना को और दृढ़ करता रहेगा। "

32 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मतदान आयु को घटाकर 18 वर्ष करने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। "

33 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए ठोस उपाय नहीं सुझाये गये हैं।"

34 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल की मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति और उस पर नियन्त्रण करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

35 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा, संस्कृति और खेल कूद क्षेत्र में पूर्ण सुधार की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।

36 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाचारपत्रों को बड़े औद्योगिक गृहों से अलग करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

37 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े एकाधिकार गृहों की चिन्ताजनक गति से बढ़ रही आस्तियतों और भारतीय अर्थ व्यवस्था में बढ़ रही एकाधिकारिता को नियंत्रित करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।"

38 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों को जोरदार ढंग से लागू करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"

39 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा का कोई उल्लेख नही है । "

40 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परिवार, नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में की गई ज्यादतियों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आश्वासन का कोई उल्लेख नहीं है ।"

41 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा उदयोग में भीषण संकट, जिसके कारण भारी बेरोजगारी आयी है और उनको दूर करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है । "

42 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों पर किये गये अत्याचारों और उन्हें समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।"

43 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्, :—

"किन्तु खेद है कि अभिाषण में भारत से प्रतिभा पलायन की गंभीर सम'या और भविष्य में हमारी प्रगति पर उससे पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है । "

44 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खद है कि अभिभाषण में कपड़ा, कपास, नारियल जटा, काजू, बीड़ी आदि जैसे पारम्परिक उद्योगों में गंभीर संकट और उसे समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।"

45 कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाखों ठेका श्रमिकों, जिनका मध्य युगीन काल की भांति शोषण किया जाता है और इस शोषण को समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

46. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निरक्षरता की समस्या और उसे दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।"

47. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन उपायों का जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ सम्बन्धों में सुधार करेंगी और उन्हें सुदृढ़ करेगी, कोई उल्लेख नहीं है।"

48. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनिवार्य जमा योजना को तुरन्त समाप्त करने और श्रमिकों को पैसा वापिस करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

49. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद विशेषकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद के शीघ्र निपटान का कोई उल्लेख नहीं है।"

50. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्रता सेनानियों विशेषकर भूतपूर्व ट्रावनकोर राज्य में पुन्नापरा—व्यालार, हैदराबाद के निजाम के विरूद्ध तेलंगाना के सशस्त्र आक्रमणकारियों आर० आई० एन० और आर० ए० एफ० विद्रोह, आई० एन० ए० के मामले और मालाबार के मोपला विद्रोहियों से सम्बन्धित पेन्शन के शीघ्र निपटान का कोई उल्लेख नहीं है।"

76. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के लिये भारत के समर्थन तथा जातिवाद के विरोध की पुर्नपुष्टि नहीं की गई है।"

77. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोलम्बो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में किये गये निर्णयों की क्रियान्विति का उल्लेख नहीं किया गया है।"

78. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी शक्ति के विरोध में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने के लिये समाजवादी

तथा तृतीय विश्व के अन्य देशों के सहयोग से कार्य करने के भारत के संकल्प की पुनर्पुष्टि नहीं की गई है।"

79. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे क्षेत्र में अमेरिका द्वारा हथियारों के जमाव, जिसमें दियगो गारसिया के सैनिक अड्डे को हथियारों से लैस करना शामिल है, का कोई उल्लेख नहीं है और न ही इसमें हथियारों की होड़ को समाप्त करने का आह्वान ही किया गया है।"

80. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सुरक्षा परिषद् के अक्तूबर, 1967 के संकल्प तथा परिषद् के अन्य संकल्पों की शर्तों के अनुसार इसराइल द्वारा कब्जे में की गई समस्त अरब भूमि को खाली कराने के अरब लोगों के संघर्ष में भारत के समर्थन का उल्लेख नहीं किया गया है।"

81. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाये जाने की मांग का कोई उल्लेख नहीं है।"

82. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक द्वारा तथा कथित निर्यात प्रधान उद्योगों पर बल देकर भारत की विकासोन्मुख नीतियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।"

83. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत द्वारा देय भारी विदेशी ऋण की वापसी की समस्या के समाधान की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है।"

84. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्व-पश्चिमी समझौते को दूसरे क्षेत्रों में लागू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे कि इसे अपरिवर्तनीय बनाया जा सके।"

85. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के इस वक्तव्य की ओर उचित ध्यान नहीं दिलाया गया है कि अमेरिका विकासशील देशों के साथ अपने देश के हित को ध्यान में रख कर गुण-दोषों के आधार पर व्यवहार करेगा।"

86. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की शान्तिपूर्ण, गुटनिरपेक्ष और साम्राज्यवाद विरोधी नीति पर गर्व अभिव्यक्त नहीं किया गया है, जिससे विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और साथ ही इसे शक्ति मिली है।"

87. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का सही उल्लेख करते हुए कि जनता ने "संविधानेतर शक्ति के उन केन्द्रों के" उद्भव के विरुद्ध स्पष्ट बहुमत दिया है, जिसके विरुद्ध संसद में भारतीय कम्युनिस्ट दल तथा दूसरे लोग और संसद से बाहर भी लोग आपातकालीन स्थिति के दौरान बार-बार चेतावनी देते रहे है, इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि शक्ति के इन केन्द्र बिन्दुओं तथा उनके संचालकों की चाल पूर्ण गतिविधियों का भण्डाफोड़ इस प्रकार किया जायगा कि भविष्य में कोई भी ऐसा गैर-कानूनी और गलत काम करने का साहस न करे जिससे ऐसे गलत लोगों को बल मिलता है, जो उन लोगों के सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध कार्य करते है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों या जन जीवन की शालीनता का आदर करते हैं।"

88. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का आश्वासन नहीं दिया गया है कि आर० के० धवन (भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सचिवालय), मुहम्मद युनुस (भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विशेष दूत), एन० के० सिंह (भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री के विशेष निजी सचिव), खुराना (गृह सचिव), भिन्दर (डी० आई० जी० पुलिस, दिल्ली), एस० आर० मेहता (राजस्व बोर्ड के चैयरमैन), के० आर० पुरी (भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर), डी० सेन (केन्द्रीय खुफिया विभाग के निदेशक), नवीन चावला (दिल्ली के उपराज्यपाल के सलाहकार), बी० आर० टमटा (दिल्ली के आयुक्त), के० एन० प्रसाद (केन्द्रीय आसूचना विभाग के भूतपूर्व उपनिदेशक, जिन्हें सचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया था), मिश्रा (संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय), दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जगमोहन, और अन्य अधिकारियों, जो संविधानेतर शक्ति केन्द्रों के संचालक थे जिनमें सेवा निवृत्त अधिकारी भी शामिल है, को यथोचित दण्ड दिया जायेगा जिससे कि भविष्य में कोई भी अधिकारी इस प्रकार के गैर-काननी कार्य और जादती करने का साहस न कर सके।"

89. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि नौकरशाही, निगमों और व्यापार क्षेत्र में संविधानेतर शक्ति केन्द्रों के गठजोड़ का भण्डाफोड़ किया जायेगा।"

90. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का आश्वासन नहीं दिया गया है कि इस संविधानेतर शक्ति केन्द्र द्वारा या इसकी सहायता से विदेशी और भारतीय व्यापार गृहों से किये गये व्यापार समझौतों को प्रकाश में लाया जायेगा और उन्हें रद्द करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।"

91. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधानेतर शक्ति के केन्द्रों द्वारा जिन्होंने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संसद् के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व की अवहेलना कर और मंत्रियों द्वारा इस "संविधानेतर प्राधिकार से आदेश लेकर और उनके इशारों पर काम करके हमारी संसदीय संस्थाओं और विशेष रूप से संसद को भारी हानि पहुंचायी है उनके कृत्यों के संवैधानिक, कानूनी और राजनैतिक पहलुओं की छानबीन करने के लिये संसद को विश्वास में लेने का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री बी० एम० वनतवल्ला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

51. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की समस्याओं और कठिनाइयों और उन्हें दूर करने के लिये आवश्यक उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री पी० के० कोडियन : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

52. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि बोनस अधिनियम, 1973 में जो संशोधन आपात स्थिति के दौरान किया गया था उसे रद्द कर दिया जायेगा और बोनस के अधिकार को उसी रूप में जैसा कि वह मल अधिनियम में था, बहाल किया जायेगा।"

53. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि अनिवार्य जमा योजना को समाप्त कर दिया जायेगा।"

54. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों में नक्सलवादी और अन्य राजनीतिक कैदी बड़ी संख्या में अभी भी आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और अन्यथा नजरबन्द हैं जिनकी बिना शर्त रिहाई के लिये जनता ने मांग की है।"

55. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि आपात स्थिति के दौरान एकाधिकारियों को ऐसी अनुचित रियायतें दी गई थीं जो कि न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक थीं बल्कि सामाजिक न्याय के प्रतिकूल थीं।"

56. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक वर्ग की इस मांग का उल्लेख नहीं है कि एकाधिकारी गृहों को आपात स्थिति के दौरान दी गई रियायतों को वापस लिया जाये।"

57. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि मेहनतकश किसानों को उनकी उपज के लिये लाभप्रद मूल्य दिये जायेंगे।"

58. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और निश्चित मजदूरी को कई राज्यों में विधिवत् रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है जबकि उनका कार्यान्वयन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।"

59. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि बन्दी, छंटनी और जबरन छुट्टी की समस्या को प्रभावपूर्ण ढंग से हल किया जायेगा ताकि श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।"

60. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारत के बड़े-बड़े व्यापारी गृह भारत से बाहर पूंजी भेज रहे हैं जबकि राष्ट्र को देश में निवेश के लिये अधिक बचत की आवश्यकता है।"

61. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं है और न ही इसमें यह आश्वासन दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र का और अधिक विकास किया जायेगा और इसके ढांचे को लोकतांत्रिक बनाया जायेगा।"

62. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में धन के प्रयोग को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के किसी उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।"

63. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश के लिये दो दलीय प्रणाली के विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है जो कि राष्ट्र के मामलों में वाम-पंथी लोकतंत्री दलों के माध्यम से श्रमिक वर्ग की भूमिका को कम करने के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।"

64. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश पर अमरीकी छाप वाले बदनाम द्विदलीयवाद को थोपने के प्रयोजन से चुनाव के परिणामों को तोड़ मरोड़कर और भद्दे ढंग से प्रस्तुत किया गया है।"

65. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जबकि यह कहा गया है कि भारत वास्तविक गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनायेगा, इस बात की विशेष रूप से पुष्टि नहीं की गई है कि शान्ति, साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी और जातिवाद विरोधी नीति को दृढतापूर्वक अपनाया जायेगा।"

66. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्रता सेनानियों की न्यूनतम पेन्शन में वृद्धि करने का, जिसके लिये स्वतन्त्रता सेनानी और जनता लम्बे समय से मांग कर रही है, कोई वचन नहीं दिया गया है।"

67. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का आश्वासन नहीं दिया गया है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के मामले में आत्मनिर्भरता और आर्थिक आजादी प्राप्त की जायेगी।"

68. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा शोषण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

69. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में हरिजन पर किये जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध उपाय करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।"

70. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषिक श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन को लागू करने का आश्वासन नहीं दिया गया है।"

71. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधियों को शीघ्र लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

72. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की गम्भीर बेरोजगारी की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।"

73. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को मकान के लिये निःशुल्क जमीन देने का कोई उल्लेख नहीं है।"

74. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों और निर्धन किसानों को ऋण मुक्त करने सम्बन्धी उपायों को लागू करने का आश्वासन नहीं दिया गया है।"

75. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि जीवन बीमा निगम बोनस समझौते को निष्प्रभावी करने वाले अधिनियम का निरसन किये जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री श्रीकान्तन नायर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

102. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आस्थगित मजदूरी के रूप में श्रमिकों को $8\frac{1}{3}\%$ का अधिकार बहाल किया जायेगा।"

103. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या दूर करने और महंगाई कम करने का उल्लेख नहीं है।"

श्री वयालार रवि : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

160. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अनिवार्य जमा योजना को वापस लेने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"

161. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि बोनस को स्थगित मजदूरी घोषित करने के लिये बोनस अधिनियम में संशोधन करने के बारे में अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।"

162. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर देश के दक्षिणी भाग सर्वांगीण विकास हेतु किसी विशिष्ट प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

Shri Jagdish Prasad Mathur (Sikar): The Leader of the Opposition defined the Janta Party as animal. I would like to tell him that Janata Party was born in Jail with a view to put an end to the misrule of the previous government.

The Congress defeat in the election herlded a new era of democracy in our country. I hope that the new Government will go ahead with the task of reconstruction and building of a strong nation.

It is not known as to why a seasoned leader like Mr. Chavan is so adament on the Constitution 42nd Amendment Bill. A new chapter should be started in the political history of our country; if there were differences between the ruling party and the opposition, those can be tackled by mutual understanding and negotiations.

A large number of employees are compulsorily retired during emergency on the charge that they had anti-government leanings. Now that the Government have agreed to take back all the victimised employees those employees should also be taken back.

The land revenue and the water charges were increased arbitrarily during emergency. As a result, the agriculturists suffered badly. I will request the new government to look into this and afford relief to the farmers.

The unemployment rose to great extent during emergency. The real figures of unemployment have not been disclosed by the previous government for fear of public resentment. I will request the government to publish the latest figures in respect of unemployment and also spell out the measures to tackle this problem.

No attention has so far been paid towards changing the system of education, which needs complete re-orientation. The education policy should be changed to make it employment-oriented. Our educational institutions should not just produce clerks, they should help in creating self-employment opportunities to our young men.

The new government should adopt decentralised economy so that we can cater to the employment needs of rural areas.

It has been rightly said by my friend Shri Hedge that some of the cases must be looked into. The present Government will have to set right the record. There had been serious charges against some Central Ministers and some Chief Ministers such as Shri Bansi Lal of Haryana. It is not understood as to why the previous Government did not fit it proper to institute inquiries against those persons. Now when people have done their duty by returning Janta party to power, we must do our part of duty sincerely. It is my humble submission that all the charges of corruption and misuse of Government machinery must be looked into and proper inquiries should be conducted against those persons. If need be some permanent arrangement should be for looking into such charges.

It is correct that all of us struggled against emergency in this country. But it is a matter of great satisfaction that Indians abroad also played an effective role in establishment of democracy in India. So on this occasion I must pay my compliments to them also on this occasion.

Now with regard to foreign policy, I will suggest that diplomatic pressure should be put on Israel for the return of occupied territory to the Arabs. At the same time I may also submit that now time has come when we must establish our diplomatic relations with Israel afresh.

Lastly I will request my friends in the opposition that they should co-operate with th new government and we should jointly work for the welfare of the public.

Shrimati Ahalya Rangnekar (Bombay North Central) : I heard Mr. Chavan with rapt attention. During the course of his speech he asked how an alliance between Communist Party (Marrist) and Janta Party is possible and practicable ? But I think while asking this question Shri Chavan forgot about the alliance which Congress Party had with Communist Party of India in Kerala when they jointly ruled for 5 years. He also forgot that Congress had an alliance with ADMK in Tamil Nadu and Shiv Sena in Bombay. It is the same Shiv Sena which stabbed the people in a Janta Party meeting during elections. I am at a loss to understand that if Congress party can have alliance with others, why Janta Party cannot have ? why my Congress friends behave in double standards ? I was equally disturbed to hear Shri Chavan still says that people have not voted against 42nd Constitution amendment but they have voted against emergency. It is a hard fact that the people have given their verdict against the amendments made in the Constitutions through that enactment. All the rights of the people were suspended during emergency. When more than 22 Members of Parliament were under detention, our former Prime Minister while visiting Ceylone said that not even a single M.P. was in Jail. How shameful it was on her part to say so when our national leaders such as Shri Madhu Dandavate, Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Madhu Limaye were in jails.

[श्री डी० एन० बसु पीठासीन हुए
SHRI D. N. BASU *in the Chair*]

It was rediculous to refer to the sovereignty of the Parliament during Emergency. This highest institution of democracy worked like a rubber stamp during emergency. It did not function independently as it should have functioned otherwise. I must make it clear to my friends in the opposition that now people have rejected the previous Government for its policies lock, stock and barrel. People of the Country have voted against Government policies and excesses and it was not merely negative vote.

People have voted against the atrocities of emergency. During emergency, arrests were made in a rechless manner. Warrants of arrests were issued against the people who were dead. Several innocent people were harassed. The Government had let loose a reign of terror. Officers could not be held responsible for these excesses. The Orders in this regard were issued by the Ministers. I feel that an inquiry should be held into the excesses committed during the emergency and guilty should be brought to book.

It has also been said by my friends from Congress benches, that rather than abusing the Congress party, Janta Government should do something constructiv also. I want to know from my friends what has been done by the Congress Party during the last 20 years for the development of the Country ? The disparity between the rich and poor has increased considerably. Here is considerable increase in the number of those who live below poverty line. The prices of essential commodities have shooted up. It is mainly for the reason that indirect taxes have been increased by the Government. It was not a wise and well planned economic policy of the Government.

The much talked Bank Nationalisation was welcomed by the people with the hope that it will provide some relief to the common man. But ultimately who were its beneficiaries ? It was again the same old group of monopolists who got advantage out of it. Poor people, who had no pulls could not get loan from the banks. If at all a poor man succeeded in getting loan from these banks he was harased unnecessarily for repayment of the loan. During the Course of emergency also it were the multinationals who got concessions from the Government. Profits of monopolists were increased. On the other hand workers and employees were hard hit. Bonus Act was changed by the Government and the unpopular Compulsory Deposit Scheme also continued. These were the achievements of our Government during emergency.

It is a matter of concern that several political opponents were put behind the basis by this Government under MISA. It was a clear violation of the assurance given by the Government that MISA will not be used for political purposes but will be used only against anti-social elements. It is a matter of satisfaction that a reference has been made for the review of MISA in the President's Address. My feeling in this regard is that this Act should be repeated. The right of habeas corpus, snatched away by the previous Government, should be restored.

According to our Constitution, the right to work is guaranteed. Concrete steps must be taken for the implementation of this guarantee. I may also submit that a suitable provision should also be made for recalling the chosen representatives of the people in the Constitution. It will help a lot in putting an end to the game of horse-trading in the political life of the Country. Then alone it will be possible to strengthen the democracy in the Country.

Bonus issue must be reviewed afresh. Arrangement should be made to provide bonus to the workers. Minimum wage should be guaranteed. I also feel that urgent attention should be given to all these things as we have given assurances to the people in this regard.

It is good that President's Address promises for the independent functioning of All India Radio and Doordarshan. I welcome this approach which will lead to healthy democratic traditions.

Lastly I submit that proper enquiries should be conducted into the excesses and atrocities committed by the previous Government and its officials and action should be taken against those responsible for the same.

Shri Sushil Kumar Dhara (Tamluk) : It is a matter of proud that I am getting an opportunity to speak in this august House. At the outset I welcome the President's Address which rightly states that in this general election, people have given a clear verdict in favour of individual freedom, democracy and the rule of law and against executive arbitrariness the emergence of personality cult and extra-constitutional centres of power.

It is a matter of satisfaction that the tasks before the present Government have also been mentioned in the address and the Government pledges to fulfil the same.

The Congress Government was taking people for granted thinking that they do not understand the implications of various policies. But the people through their verdict have shown their sagacity and wisdom. The Acting President, in his Address, has accepted that atrocities were let loose on people. I ask the previous Government what was the fault of Lok Nayak Jai Prakash Narain. He simply said that the Government should improve their working and for saying such he was put behind the bars.

During the emergency the Government had committed atrocities on people. Thousands of innocent people were put to jails. Family members of so many detenus had to undergo lot of hardships. The Government should take steps to help such people.

It was said that there was no Press Censorship. But in fact there was Press Censorship and it has been lifted by the New Government.

Baseless statements were used to be given about economic situation and foodgrain production. Food situation is not very good. 1977 may be a difficult year. The Government should take steps to meet the situation.

There is widespread unemployment in the country. No effective steps were taken to tackle the situation. It is good that the new Government have decided to review the 5th Five Year Plan. Suitable steps should be taken to remove the unemployment.

Proper importance would have to be given to agriculture if we really want to improve our economy. For improving our agriculture, irrigation is of utmost importance. Due attention should be paid for providing more and more irrigation facilities.

The Constitution was badly mutilated to safeguard the position of one individual. Shri H. V. Kamath had rightly stated that it is neither mending nor amending but ending the Constitution. Suitable steps should be taken to put the Constitution in proper shape.

Production of fertilizers should be increased. Fertilizers and irrigation are of great importance for increasing agricultural production. The cow should be taken as the mobile fertilizer factory. Cowdung should be used as manure and should not be wasted.

There are about 6 lakh villages in our country. Unless condition of these villages is improved, the condition of our people cannot improve. The Government should pay due attention to the development of rural areas. With these words, I support the Motion of Thanks.

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूबनगर): भारत की राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है । हाल के चुनाव प्रशंसनीय रहे हैं । विश्व के लोग भारत के चुनावों, प्रक्रियाओं तथा परिणामों से प्रभावित हुए हैं । भारत की चुनाव प्रक्रिया से लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस प्रजातांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति वचनबद्ध रही है ।

गत कुछ दिनों से हमारे दल पर अप्रजातांत्रिक तथा निरकुंश होने का आरोप लगाया जा रहा है । वस्तुतः यदि हम प्रजातंत्र तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों से न जुड़े हुए होते तो आज सरकार की बागडोर जनता पार्टी के हाथ में न होती ।

जब चुनावों का दौर समाप्त हो जाएगा और विवादास्पद स्थिति का सही परिपेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाएगा , तब इन तथ्यों को समझा जाएगा और इनका महत्व समझा जाएगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनता के निर्णय तथा परिणामात्मक कार्यवाही की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है । हमने जनता के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया है । हम एक जिम्मेदार तथा रचनात्मक प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करेंगे । हम जनता की इच्छाओं का आदर करेंगे । हमारी शुभकामनाएं नई सरकार के साथ है । इस समय आवश्यकता मजबूत सरकार की है । मजबूत सरकार ही सामाजिक और आर्थिक विकास का काम कर सकती है । हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे सरकार का स्थायित्व खतरे में पड़े ।

हमें आशा है कि श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश का आम विश्वास बड़ेगा । मंत्रिमण्डल में सभी लोग योग्य हैं और हमें उनमें विश्वास है हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि हमने गलतियां की । यदि हमने गलतियां न की होतीं तो आज हम प्रतिपक्ष में न होते ।

नया दल तथा नई सरकार भी गलतियां कर सकती है । ऐसे में हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम सरकार का ध्यान उन गलतियों की ओर आकर्षित करें तथा उनका हल सुझायें । जब हम देखेंगे कि सरकार ऐसी नीतियां अपना रही है जो कि जनता के लिए कल्याणकारी नहीं हैं या जिनसे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर हम सरकार की उन नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे ।

कल हमारे कुछ साथियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि जनता पार्टी को उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण-भारतीय राज्यों में कम मत मिले हैं। मैं अपने इन दोनों ही मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा इरादा क्षेत्रीय भेदभाव करने का कदापि नहीं है । सर्वप्रथम हम भारतीय हैं । यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस क्षेत्र के हैं । किसी को कहीं अधिक मत मिले हैं कहीं कम । इसके राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारण हो सकते हैं । किन्तु नई सरकार उन राज्यों के प्रति बदले की भावना नहीं रखेगी ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे अनेक अधिनियमों की सूची दी गई है, जिन्हें या तो रद्द किया जाना है अथवा उनमें संशोधन किया जाना है । प्रस्तावित संविधान संशोधनों का उल्लेख किया गया है । जिनमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द करने का भी उल्लेख है । हम उन विधेयकों को अन्तिम रूप दिए जाने तक प्रतीक्षा करेंगे, तभी हमारी कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है । लेकिन कुछ बातों में हम सरकार का समर्थन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जनता के निर्णय से काफी संवेदनशील हैं । लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों में जनता के निर्णय का प्रभाव नहीं पड़ा है जहां हम सरकार के प्रस्तावों से अहसमत हो सकते हैं । प्रत्येक विधेयक और प्रत्येक खण्ड का उसके गुण-दोषों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा उन पर विचार किया जाएगा ।

स्वतंत्रता के 30 वर्ष पश्चात् हम प्रथम बार स्वरूप दो-दलीय व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं । इससे स्थिरता, लोकतंत्र तथा प्रगति का शुभारम्भ होगा । किन्तु द्वि-दलीय प्रणाली से सरकार और विपक्ष के कार्यकलाप पर कुछ नियंत्रण हो सकता है । सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकते ।

मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कल वित्त मंत्री राशि निवेश पर कटौती के बारे में बोल रहे थे । राशि निवेश में कटौती करके 10 वर्षों में गरीबी कैसे हटाई जा सकती है । लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि राशि निवेश विवेकपूर्ण हो । नए राशि निवेश से मुद्रा स्फीति नहीं बढ़नी चाहिए । नए राशि निवेश से तुरन्त लाभ होना चाहिए । पूंजीगत परियोजनाओं की निर्माण लागत घटाकर कम करनी होगी ।

हमें ऐसे क्षेत्र ढूंढने होंगे जहां सरकार और विपक्ष के सदस्यों के बीच पारस्परिक वार्ता से द्वि-दलीय नीति तैयार करनी होगी । मुझे यह देख कर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है जहां गुट निरपेक्षता को नई सरकार की नीति के रूप में स्वीकार किया गया है । मैंने द्वि-दलीय नीति का यही अर्थ निकाला है । दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है । ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की वर्तमान विकास व्यवस्था में कोई मतभेद नहीं हो सकता । लेकिन ऐसा पारस्परिक विश्वास तथा आस्था से ही हो सकता है ।

Shri Yadvendra Dutt Dubey (Jaunpur) : The Acting President deserves Compliments for what he has said in his address. I would like to draw Government's attention towards the injustice done to the farmers during the last 30 years. For the last 30 years farmers have been exploited.

The farmer Finance Minister has claimed that earnings from industrial exports have increased but it is to be clarified whether it was the export of finished products or of raw materials. Ours has been a colonial economy and the increase in exports was illusory. So far only 13% of the total expenditure has been incurred on agriculture. We have promised to the farmers to abolish Land revenue on uneconomic holdings. It can be said that it is a state subject, but the States which are under President's rule, this benefit should be given to the peasants.

Secondly the farmers have been paid uneconomic price for their produce. They should be given proper price for their produce. Necessary measures should be taken in this regard.

If a grain Board is Constituted with eminent economists, agriculturists and bankers, they can examine various problems being faced by peasants. Such grain Boards are in every Country of the world. A Grain Board may be constituted with economists, agriculturists

and bankers as its members. Its Chairman should be an independent Judge. This board should take into accounts the cost of agricultural inputs, labour cost. etc. and fix the economic price of wheat and the Government may be forced to purchase wheat at this price. It should examine in detail the various problems faced by peasants and suggest the measures to improve their economic condition.

The former Finance Minister has made a reference to irrigation. But the position is that peasants are still starving for water. They have to depend in rains. Government should, therefore, take steps to supply them electricity in day time at economic rate so that they can use tubewells for irrigation purposes. Then, the agricultural implements should be made available to them at reduced prices or subsidised rates.

Measures should be taken to introduce crop and cattle insurance. The damage done to crops as a result of hailstorm, etc. cannot be compensated by loans advanced to farmers as they are not in position to repay the loans. Mention has been made about rural credit banks. But the fact is that no rural bank advances loans to peasants against the standing crop. Directives should be given to these banks to give credit to farmers against standing crops.

I would like to submit that a thorough inquiry should be made in all cases of excesses committed in the name of family planning. Proper inquiry should be made in all cases of corruption in which big personalities are involved. A commission should be set up to enquire into all such cases as Nagarwala and Maruti affairs.

I welcome the statement made by Dr. P. C. Chander, the Minister for Education that literacy will be brought in the country. I suggest that with a view to promote literacy in the country, retired teachers should be engaged.

With regard to the defence of the country, a missile gap has been created because one day super power has refused to supply us missiles. The Defence Minister should pay his attention to this matter.

Our foreign policy has always been a policy of non-alignment and it is in the fitness of things that we formulate our policy on the basis of national interest and international understanding.

With these words I support the Motion of Thanks on President's Address.

श्री ओ० वी० अलगेशन (आरकोनम) : यह स्वीकार करना होगा कि आपात स्थिति के दौरान अत्याचार हुए हैं और जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आपात-स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं।

[**श्री एस० डी० पाटिल पीठासीन हुए**
SHRI S. D. PATIL *in the Chair*]

इन सब बातों के लिए प्रायश्चित करना होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस प्रकार के नियंत्रण और संयम को दिखाया गया है वह सराहनीय है परन्तु जनता पार्टी के सदस्यों के भाषणों में वह नियंत्रण या संयम दिखाई नहीं देता है। उन्होंने 30 वर्ष के कांग्रेस शासन की घोर निन्दा की है ? इसका अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री और आपात स्थिति से पूर्व इंदिरा गांधी के शासन की निन्दा की गई है। इसका अर्थ यह भी कि जनता द्वारा इससे पहले पांच बा दिये गये निर्णय की उन्होंने निन्दा की है। जनता पार्टी को सत्ता देने वाली जनता का इस तरह

से उपहास नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं सरकारी पक्ष के सदस्यों से अपील करता हूं कि विगत में जो कुछ हुआ है उसकी अन्धाधुन्ध निन्दा करके कृपया अपनी निन्दा स्वयं न करायें।

परन्तु एक बात स्पष्ट है और हमें इस सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए। आज की सरकार समूचे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती और आज का विपक्षी दल भी समूचे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह बड़ी गम्भीर स्थिति है। यह स्थिति अनिष्टकारी है। यह बात राष्ट्र हित में होगी कि हम सब मिलकर इसका हल निकालें।

अभिभाषण में संविधान बाह्य सत्ता केन्द्रों का उल्लेख किया गया है। मैं सरकारी पक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे सत्ता केन्द्र आज विद्यमान नहीं हैं ? क्या किसी संविधान बाह्य शक्ति ने सरकारी दल को किसी व्यक्ति विशेष को अपना नेता चुनने का परामर्श नहीं दिया है ? जय प्रकाश जी, आचार्य कृपालानी, और विनोबा जी क्या हैं। गांधी जी क्या थे ? भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि संविधान बाह्य सत्ता केन्द्र यहां पर कार्य करते रहे हैं। परन्तु मैं शक्ति के इन केन्द्रों को कहना चाहता हूं कि वे स्वार्थी न बनें, निःस्वार्थी बने और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर काम करें।

संविधान में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति शासन संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार ही लगाया जाएगा न कि किन्हीं बाहरी प्रयोजनों के कारण। क्या काश्मीर में लागू किया गया राष्ट्रपति शासन आपकी इस धारणा की पुष्टि करता है। मेरा यह कहना है कि यदि कांग्रेस को वहां पर सरकार बनाने का अवसर दिया जाता तो आसमान न टूट पड़ा। बाद में यदि यह सरकार स्वयं टूट जाती तो आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते। परन्तु आपने इतना धैर्य नहीं रखा। कृपया भविष्य में ऐसी गलती न करें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग तथा अन्य सरकारी तंत्र को निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप में कार्य करें। जिस तरीके से आकाशवाणी तथा समाचारपत्रों में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए आश्वासन का प्रसारण किया गया है उससे तो नितान्त भिन्न स्थिति सामने आई है। वर्तमान सरकार को भविष्य में इस प्रकार उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान सत्ताधारी दल के एक सदस्य ने इस बात की दलील दी है कि हमारे राजनीतिक नेताओं के सभी अपराधों तथा दुष्कर्मों की जांच की जानी चाहिए और दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिए। डी०एम०के० पार्टी ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि तथा उनके सहयोगियों के दुष्कर्मों की गत एक वर्ष से जांच की जा रही है। जांच आयोग फरवरी, 1976 में नियुक्त किया गया था। आयोग ने 27 या 28 आरोपों में से 7 आरोपों की अभी तक जांच की है। अभी तक की गई जांच में आयोग ने एक प्रतिवेदन में अपने निष्कर्ष दिये हैं। यह प्रतिवेदन दूसरे सदन के सभा पटल पर रखा गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे लोक सभा पटल पर भी रखा जाए। मेरा यह कहना है कि अब श्री करुणानिधि और उनके साथी इस जांच से बच निकलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह जांच चलती

रहनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए । यह बहुत दुर्भाग्य की बात होगी यदि इस आयोग को समाप्त कर दिया जाता है । मैं सरकार की ओर से इस बारे में एक आश्वासन की मांग करता हूं ।

मुझे बहुत खेद से कहना पड़ रहा है कि तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष ने सरकारी कार का प्रयोग किया और मेरे निर्वाचन -क्षेत्र में द्रमुक के प्रत्याशी के हक में सक्रिय रूप से प्रचार किया । मैंने यह बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य प्राधिकारियों के ध्यान में लाई परन्तु वहां से कोई उत्तर नहीं मिला और यह चुनाव समाप्त होने तक चलता रहा । यह बहुतगम्भीर मामला है जिसकी जांच की जानी जाहिए ।

Shri Y. P. Shastri (Rewa) : The Acting President has in his Address rightly pointed out that the General Election just concluded have effectively and decisively demonstrated the power of the people, the vitality of the democratic process in India and the deep root that it has taken. The world has realised the strength of our democracy and the wisidom and sagacity of our people.

I have listened to the speech delivered by the Leader of the Opposition very carfully. He has reaffirmed his faith in the policies and philosophy of his party. But what has been the outcome of the policies pursued by the Congress Government. There are 45 crores of people in our country who are living below the poverty line whereas the rich have become richer. Under the Congress Rule the condition of farmers has become very bad because they do not get adequate price for their produce. Again regionrl disparities have increased. These are the achievements of the Congress rule.

It is wrong to say that the Janata Party has no programme. Broad features of the programme of our party have been stated in the President's Address. It will be the endeavour of the Janata Government to remove povety within ten years. Our Government will pursue employment oriented policies so as to tackle the problem of unemployment. Then right to property will be deleted from the chapter on fundamental rights. Janata Party has also promised to include right to work among fundamental rights. The Janata Party Government will make an allout effort to implement the promises given to the people in their election manifesto.

The Acting President has rightly stated in his Address that farmers will be given proper price for their produce. The Congress Government has ruined the cultivators. They have to purchase their requirements at a higher price while they do not get reasonable price for their produce.

The former Finance Minister has stated that there are 45 regional rural banks to cater to the needs of the poor people. But because of the conditions stipulated by these banks the poor people are not able to get loans.

The Congress Government had claimed that they were following policy of non-alignment. But they were not following a policy of real-non-alignment. Their policy was titled towards certain countries. The Janata Party Government has rightly promised to pursue a policy of genuine non-alignment.

सभापति महोदय : समय हो गया है । आप अपना भाषण कल जारी रखें । सभा अब स्थगित होती है और 1 अप्रैल, को 11 बजे पुनः समवेत होगी ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1977/11 चैत्र, 1899(शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 1, 1977/ Chaitra 11, 1899 (S)